मध्यप्रदेश राज्य

विरूद्घ

चामरू उर्फ भगवानदास वगैरह

19 जून, 2007

(डॉ0 अरिजित पसायत और डी.के. जैन, न्यायाधिपतिगण)

दंड संहिता, 1860 - धाराएं 302, 307 और 324 - प्रावधानों के तहत आरोपों के लिए अभियोजन- तीन बाल चश्मदीद गवाह - टी.आई. परेड में आरोपियों की पहचान - टी.आई. परेड से पहले दो गवाहों को आरोपियों को दिखाया गया - विचारण न्यायालय द्वारा चश्मदीद साक्षियों के कथनों और टी.आई. परेड पर विश्वास के आधार पर दोषसिद्धि - एक आरोपी को मौत की सजा और सह-अभियुक्त को आजीवन कारावास - उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित: दोषमुक्त करना उचित था - अभियोजन साक्षियों और टी.आई. परेड के साक्षी विश्वसनीय नहीं है।

अपीलकर्ता-अभियुक्तों पर चार व्यक्तियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार किसी जमीन पर पूर्व दुश्मनी के कारण आरोपियों ने मृत व्यक्तियों और अभियोजन साक्षी-3 व 7 पर हमला किया, जब वे सो रहे थे। घटना को 3 बाल गवाहों यानि अभियोजन साक्षी सं.3, 7 व 8 ने देखा था। आरोपी की पहचान, परीक्षण पहचान परेड

में 3 गवाहों द्वारा की गई थी। विचारण न्यायालय ने पहचान पर भरोसा करते हुए दोनों आरोपियों को धारा 302, 307 और 324 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। आरोपी 'सी' को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि सह-अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि परीक्षण पहचान परेड एक दिखावा था क्योंकि बच्चे आरोपी को जानते थे और उसे टी.आई. परेड से पहले बच्चों को दिखाया गया था और अभियोजन साक्षी सं.3 की साक्ष्य पर अविश्वास करते हुए, आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील न्यायालय ने खारिज कर दी।

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के फैसले में कोई खामी नहीं है। यह सिर्फ नाम न बताने का मामला नहीं है, निर्विवाद रूप से, परीक्षण पहचान परेड से पहले आरोपी 'सी' की तस्वीरें बाल गवाहों में से दो को दिखाई गईं। इससे परीक्षण पहचान परेड का प्रभाव खत्म हो गया। अभियोजन साक्षी सं.3, जिसे तस्वीरें नहीं दिखाई गईं, अदालत में उसकी साक्ष्य के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं थी और उसे सिखाया गया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आरोपी को नाम से जानती थी। उसकी साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उसे सिखाया गया था। उसके अदालत में दिए गए अधिकांश कथन अतिश्योक्तिपूर्ण और अलंकृत थे। दूसरे, जांच के दौरान अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताए गए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपने

साक्ष्य में, उसने कहा कि हमलावरों द्वारा अभियोजन साक्षी सं.8 पर भी हमला किया गया था। यह स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के विवरण के विपरीत है। अन्य सभी गवाह, जिन्होंने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोजन साक्षी सं.8 दूर जाने में कामयाब रहा था और उसने परदे के पीछे से घटना देखी थी। अभियोजन साक्षी सं.8 का भी यही कथन था। ऐसा होने पर, अभियोजन साक्षी सं.3 का कथन, कि उस पर भी हमला किया गया था, स्पष्ट रूप से अभियोजन मामले के संबंध में एक कमजोर बिंदु है। (पैरा 10, 11 और 12) (1060-सी.डी; 1059-जी.एच;1060-बी.सी) बी

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील सं.743-744 सी/2002

2000 के आपराधिक संदर्भ सं.1, 2000 की सीआरएल अपील संख्या 628 और 2000 की सीआरएल अपील संख्या 629 में जबलपुर में मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश और निर्णय दिनांक 18.07.2001 से।

अपीलकर्ता की ओर से आर.पी. गुप्ता, सनी चौधरी (सी.डी.सिंह के लिए)

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ0 अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति. 1. इन अपीलों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विचारण न्यायालय आरोपी चमरू को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302, 307 और 324 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया था। उसे चार हत्याओं के लिए मौत की सजा दी गई थी। आरोपी गीताबाई को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन दोनों को अन्य दो आरोपों के लिए 10-10 वर्ष व 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी और अपील दायर की। विचारण न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 में प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को ठोस और विश्वसनीय नहीं पाया और दोषमुक्त करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि यहां चार लोगों की जघन्य हत्या हुई थी, इनमें से दो नाबालिग थे, हालांकि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था, फिर भी, उसने गवाहों के साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस नहीं पाया और, स्पष्ट रूप से अविश्वनीय पाया और, इसलिए दोषमुक्त करने का निर्देश दिया।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है -

इस घटना से कुछ समय पहले, मृतक रामकिशन और उसकी पत्नी मृतक अनीता को उसके पिता सेवकलाल (अभियोजन साक्षी सं.5) ने तीन एकड़ जमीन दी थी। तब से रामकिशन अपनी पत्नी और चार नाबालिग बच्चों, सबसे बड़े बेटे कपिल, उम्र लगभग 12 वर्ष, बेटी कीर्ति, बेटे बंटू और सबसे छोटी बेटी प्रीति, उम्र लगभग 7 वर्ष के साथ फार्महाउस में रहता था। इस भूमि पर पहले सेवकलाल (अभियोजन साक्षी सं.5) के ससुर गेंदालाल ने खेती की थी और गेंदालाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे मंगदू और उनकी पत्नी आरोपी गीताबाई का कब्जा रहा। इन खेतों को बाद में सेवकलाल ने मंगदू से वापस ले लिया और इसमें से 3 एकड़ जमीन अपनी बेटी मृतक अनीता को दे दी और एक एकड़ गेंदालाल की विधवा को दे दी, जिसने इसे अपनी बेटी की शादी के लिए बेच दिया। इससे गीताबाई और उसका पति क्रोधित हो गए और अनीता और उसके पति रामकिशन के साथ गाली-गलौज करने लगे। अपने पति की मृत्यु के बाद गीताबाई के आरोपी चमरू के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए और उन दोनों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में इस घृणित अपराध को अंजाम दिया।

3. दोनों आरोपी चमरू और गीताबाई रात के समय रामकिशन के घर गए और चमरू ने अपने आंगन में सो रहे रामकिशन, उसकी पत्नी और बच्चों को एक-एक करके काट डाला, दो बच्चे कीर्ति (अभियोजन साक्षी सं.3) ओर बंटू (अभियोजन साक्षी सं.7) बुरी तरह घायल हो गए, और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें बचाया जा सका।

तथाकथित रूप से इन दोनों बच्चों और रामकिशन की भतीजी इंदु पटेल (अभियोजन साक्षी सं.8), जो उनके घर आई हुई थी, ने अपराध को देखा था।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.4) अगली सुबह गांव के पटेल भूपतसिंह (अभियोजन साक्षी सं.2) द्वारा दर्ज कराई गई। इससे अनुसंधान आरंभ हुआ, डॉ0 ए.के. यदु (अभियोजन साक्षी सं.9) ने शव परीक्षण किया और प्रदर्श पी.17-ए से प्रदर्श पी.20-ए तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। उन्होंने गवाही दी कि इन सभी की मृत्यु मानव वध थी।

5. जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी का विचारण हुआ। विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि के लिए कीर्ति, अभियोजन साक्षी सं.3, बंटू अभियोजन साक्षी सं.7 और इंदु अभियोजन साक्षी सं.8 द्वारा की गई पहचान पर भरोसा किया। ये तीनों बाल गवाह थे, अभियोजन ने उनके द्वारा परीक्षण पहचान परेड (संक्षेप में 'टी.आई. परेड') में आरोपी चमरू की पहचान करना बताया। उनकी साक्ष्य को ठोस और विश्वसनीय पाते हुए, विचारण न्यायालय ने उपरोक्तानुसार दोषसिद्घि की और आरोपियों को सजा सुनाई।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के समर्थन में, आरोपी व्यक्तियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षण पहचान परेड एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं थी। आरोपी को टी.आई. परेड के पहले गवाहों को दिखाया गया और इसे गवाहों

ने स्वीकार किया, इसके अतिरिक्त, स्पष्ट विरोधाभासों के कारण अभियोजन साक्षी सं.3 की साक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं थी। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि का समर्थन किया और कहा कि जब चार लोगों की जान चली गई जिनमें दो बच्चे थे, तो ऐसी तकनीकी खामियां उन्हें दोषी ठहराने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।

7. उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों पर विचार किया और कहा कि आरोपी बच्चों के लिए अजनबी नहीं था। दरअसल, उन्होंने स्वीकार किया कि एक कमरे के निर्माण के सिलसिले में उनके पिता के घर पर काम किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे उसे ''पत्थर फोड़ने वाला'' के नाम से जानते थे। उसके बावजूद जांच के दौरान दिए गए बयानों में आरोपी की पहचान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा, यदि वे अभियुक्त को जानते थे, तो किसी भी परीक्षण पहचान परेड का कोई सवाल ही नहीं था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

''हमने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और दस्तावेजों को ध्यान से देखा है और हमें यह कहना चाहिए कि विद्वान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को बिना तथ्य के नहीं कहा जा सकता है। हम इंदु (अभियोजन साक्षी सं.8) की साक्ष्य को स्वीकार करते हैं कि उसने हमलावर को चकमा दिया था और किसी तरह से रसोई में भाग गई। हम उसकी गवाही को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उसने हमलावर

को चकमा दिया और रसोई में भाग गई थी। हम उसकी गवाही को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उसने अपने छिपने की जगह से हमले को देखा था। लेकिन उसने हमलावर को पहचान लिया था कि यह आरोपी चमरू ही है, यह मानना मुश्किल है। इस तर्क में बहुत दम है कि अगर उसने उस रात वास्तव में आरोपी को पहचान लिया होता, तो जब ग्रामीण और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, तब उनके सामने इसका खुलासा करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उसने गांव के पटेल को यह नहीं बताया होता कि किसी अजनबी ने उन लोगों पर हमला किया था।

यही आलोचना कीर्ति (अभियोजन साक्षी सं.3) और बंटू (अभियोजन साक्षी सं.7) पर भी लागू होती है। दरअसल बंटू पर सोते समय हमला किया गया था, उसने अपनी जिरह के पैरा 11 में यह स्वीकार किया है। गर्दन पर वार के बाद वह जाग गया, लेकिन खुद पर हमले के बाद भी उसने सोने का नाटक किया। उसे अवश्य ही एक ही वार के बाद हमलावर ने मृत मानकर छोड़ दिया। बंटू करीब 7 साल का बच्चा था, वह इतना चकित और भयभीत हो गया होगा कि उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। हमें यह असंभव प्रतीत होता है कि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो उसके करीबियों और प्रियजनों को एक के बाद एक को काट रहा था। हम उसके इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उसने उस रात चमरू को पहचान लिया था। अगर यह सच होता तो वह ग्राम पटेल और अन्य लोगों को बताता कि ''पत्थर फोड़ने वाले'' ने अपराध

किया है। तथ्य यह है कि उसने ऐसा नहीं किया, इससे पता चलता है कि वह उस रात हमलावर को पहचान नहीं सका।

यह महत्वपूर्ण लोप कीर्ति (अभियोजन साक्षी सं.3) द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान प्रदर्श डी.3 में भी दिखाई देती है। उसका कहना है कि आरोपी चमरू को वह शक्ल से खूब जानती थी, जिसे वह पत्थर फोड़ने वाला के नाम से जानती थी, जिसने उसके पिता के लिए काम किया था। फिर जब गवाह और पुलिस मौके पर पहुंचे तो उन्हें उसकी पहचान बताने से उसे किसने रोका?

हम बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत हैं कि पहचान कार्यवाही जो एस.डी.एम. श्री पटेल (अभियोजन साक्षी सं.1) द्वारा की गई, वह मात्र दिखावा थी। बंटू (अभियोजन साक्षी सं.7) व इंदु (अभियोजन साक्षी सं.8) दोनों ने जिरह में स्वीकार किया कि पुलिस ने उन्हें चमरू की तस्वीर दिखाई थी, इससे संपूर्ण कार्यवाही निरर्थक हो जाती है और दोषसिद्धि ऐसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती।

8. यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा यह बताया गया कि कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उच्च न्यायालय ने पाया कि वे इतने छोटे थे कि जिससे उन्हें सीरोलॉजिकल परीक्षा के संबंध में पर्याप्त नहीं पाया गया। उच्च न्यायालय ने पीड़ा व्यक्त की कि दो बच्चां सहित चार व्यक्तियों की निर्मम हत्या हुई थी ; लेकिन जिस दोषपूर्ण तरीके से जांच की गई, उसमें बहुत कुछ बाकी रह गया।

9. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत था। केवल इसलिए कि बाल गवाह, जो अपनी आंखों के सामने चार हत्याएं देखने के दुख के वशीभूत होकर त्रस्त थे, ने हमलावरों का नाम बताने में चूक कर दी, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए था। दोषपूर्ण जांच विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती।

10. हमने पाया कि यह केवल नामों का उल्लेख न करने का मामला नहीं है। निर्विवाद रूप से, आरोपी चमरू की तस्वीरें परीक्षण पहचान परेड से पहले बाल गवाहों में से दो को दिखाई गईं। इससे परीक्षण पहचान परेड का प्रभाव खत्म हो गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन साक्षी सं.3 की साक्ष्य का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि उसे तस्वीरें नहीं दिखाई गईं। उसकी साक्ष्य, जो न्यायालय में हुई, के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि वह विश्वसनीय गवाह नहीं थी और उसे सिखाया गया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आरोपी को नाम से जानती थी। जैसा कि उपर बताया गया है, उसकी साक्ष्य प्रकट करती है कि उसे सिखाया गया था। उदाहरण के लिए उसने कथन किया कि उसने लगभग 200 गज की दूरी पर जलने वाले बल्ब का वोल्टेज देखा था। अदालत में उसके अधिकांश बयान अतिशयोक्तिपूर्ण् और अलंकृत थे। जांच के दौरान अधिकांश महत्वपूर्ण तत्व नहीं बताए गए।

11. यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य उसकी साक्ष्य में है कि उसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि इंदु, अभियोजन साक्षी सं.8 पर भी हमलावरों द्वारा हमला किया गया था। यह स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के कथानक के विपरीत है। प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले अन्य सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोजन साक्षी सं.8 दूर जाने में कामयाब रहा था ओर उसने परदे के पीछे से घटना देखी थी। यही इंदु अभियोजन साक्षी सं.8 का भी कथन था। उक्तानुसार अभियोजन साक्षी सं.3 का यह कथन कि स्वयं उस पर भी हमला किया गया था, अभियोजन के मामले के लिए स्पष्ट रूप से एक दुर्बल बिंदु है।

12. अंतिम विश्लेषण में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं।

के.के.टी. अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी आलोक सुरोलिया, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।